रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267092 CG-DL-E-24102025-267092

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4691]

No. 4691]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, 24 OCTOBER, 2025/KARTIKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4830(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-प के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों को, जिनका अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में दिया गया है, ''रेपो" और ''रिवर्स रेपो" के प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन प्रतिभूति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

(फा.सं. 7/43/2025-बीओए-I)

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

7078 GI/2025 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2025.

S.O. 4830(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 45U of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby specifies the Municipal Debt Securities, having the meaning assigned to it in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the rules or regulations made thereunder, to be as security under this section for the purposes of "repo" and "reverse repo".

[F. No. 7/43/2025-BOA-I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.